

थाना अहरौरा पुलिस द्वारा ग्राम सरिया(बिन्दपुरवा) में विद्युत केबल लगाने के पुराने विवाद को लेकर मारपीट कर युवक की हत्या में वांछित दो अभियुक्त गिरफ्तार —

ज्ञातव्य हो कि दिनांक 21.12.2020 को थाना अहरौरा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सरिया(बिन्दपुरवा) निवासी रामबृक्ष बिन्द पुत्र शिवनाथ बिन्द द्वारा थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दी गयी कि दिनांक 20.12.2020 की रात्रि वादी का पुत्र संजय बिन्द उम्र करीब- 23 वर्ष, जो बाजार से घर वापस आ रहा था कि रामविलास पुत्र राजबली निवासी सरिया(बिन्दपुरवा) थाना अहरौरा मीरजापुर सहित 09 लोगो द्वारा एकराय होकर लाठी डंडा व पत्थर से लैश होकर विद्युत केबल लगाने के पुराने विवाद को लेकर घेर कर मारपीट कर गम्भीर रूप से घायल कर हत्या कर देने के सम्बन्ध में थाना अहरौरा पर हत्या की सुसंगत धाराओं अभियोग पंजीकृत किया गया । उक्त अभियोग विवेचना एवं वांछित अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के क्रम में त्वरित कार्यवाही करते हुए थाना अहरौरा पुलिस द्वारा दिनांक 22.12.2020 को तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है तथा शेष वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में आज दिनांक 24.12.2020 को प्राप्त मुखबीर खास की सूचना के आधार पर थानाध्यक्ष अहरौरा राजेश जी चौबे मय हमराह द्वारा अभियुक्त 1- सोमारू बिन्द, 2- गुलजार बिन्द पुत्रगण स्व0 विश्वनाथ बिन्द निवासी सरिया(बिन्दपुरवा) थाना अहरौरा मीरजापुर को चकिया तिराहे से समय 10.40 बजे गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय/जेल भेजा गया ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त—

- 1- सोमारू बिन्द पुत्र स्व0 विश्वनाथ बिन्द निवासी सरिया(बिन्दपुरवा) थाना अहरौरा मीरजापुर ।
- 2- गुलजार बिन्द पुत्र स्व0 विश्वनाथ बिन्द निवासी सरिया(बिन्दपुरवा) थाना अहरौरा मीरजापुर ।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय—

चकिया चौराहे से, दिनांक 24.12.2020 समय 10.40 बजे ।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम—

- 1- उ0नि0 राजेश जी चौबे थानाध्यक्ष अहरौरा मीरजापुर ।
- 2- उ0नि0 चन्द्रशेखर सिंह थाना अहरौरा मीरजापुर ।
- 3- हे0का0 सुनील उपाध्याय थाना अहरौरा मीरजापुर ।
- 4- का0 संजय यादव थाना अहरौरा मीरजापुर ।
- 5- का0 अजय कुमार थाना अहरौरा मीरजापुर ।

